

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी (म.प्र.)

पृष्ठा. क. 2664/एक-9-1/90

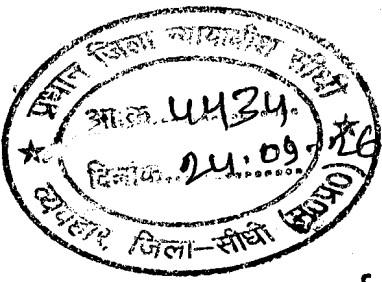
सीधी, दिनांक 26.09.2026

प्रतिलिपि:-

श्री विनोद कुमार वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी की ओर न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी जिला सीधी का संशोधित विविध आदेश (आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2026) क्रमांक 1194/सी.जे.एम./2026 दिनांक 24.09.2026 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी के अनुमोदन पश्चात् मूलतः प्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- संशोधित आपराधिक कार्य
विभाजन पत्रक वर्ष 2026


कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)



(1)

5 Oct 26
24.9.26
Jhansi

कार्यालय:-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)

-:: संशोधित विविध आदेश:-

(आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष-2026)

क्रमांक-1194/सी.जे.एम./2026

सीधी, दिनांक-24.09.2026

मैं विनोद कुमार वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी, जिला सीधी (म.प्र.) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-12(1) एवं 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2026 हेतु पूर्व में प्रसारित आदेशों को अतिष्ठित (सुपरसीड) करते हुए, इस न्यायिक जिला मुख्यालय सीधी एवं तहसील मुख्यालय चुरहट, रामपुर नैकिन, मझौली में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य आपराधिक कार्य विभाजन कर, क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएँ परिनिश्चित करता हूँ, जो कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी द्वारा अनुमोदन किये जाने के उपरांत से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा:-

क.	मजिस्ट्रेट का नाम/पद	क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्यक्षेत्र	आपराधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य जिनका विवरण होगा
C-I	C-II	C-III	C-IV
1.	श्री विनोद कुमार वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी, जिला-सीधी म.प्र.	1. थाना-कोतवाली सीधी 2. थाना यातायात सीधी। 3. आबकारी वृत्त सीधी से संबंधित मामले	1. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत समस्त आपराधिक मामले, विविध आपराधिक मामले, एवं म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915, आवश्यक वस्तु अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट (अल्पमात्रा) के मादक पदार्थ से संबंधित (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं हैं) मामले (थाना-कोतवाली सीधी से उद्भूत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं के प्रति होने वाले संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों को तथा सीधी जनपद ग्राम न्यायालय सीधी से संबंधित समस्त विचारण योग्य मामलों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाही, जो कि कॉलम क्रमांक-C-III में दर्शित थाना क्षेत्रों से उत्पन्न हुई हो। 2. चलचित्र अधिनियम। 3. प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम। 4. दुकान स्थापना अधिनियम। 5. वेट्स एवं मेजरमेंट एक्ट। 6. नगर पालिका अधिनियम। 7. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत तीन वर्ष या उससे अधिक कारावास से दण्डनीय अपराधों को छोड़कर शेष विचारणीय मामले। 8. सम्पूर्ण सिविल जिला सीधी, म.प्र. के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 संबंधी मामले, 9. थाना कोतवाली सीधी, जमोड़ी, बहरी एवं अमिलिया के अधीन अंतर्गत उत्पन्न होने वाले इंडियन मेडिकल

काउंसिल एक्ट 1956 एवं म.प्र. आयुर्विज्ञान अधिनियम के मामले।

10. पुलिस थाना कोतवाली सीधी, जमोड़ी, बहरी एवं अमिलिया के थाना क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले वन विधि एवं खनिज अधिनियम से संबंधित परिवाद/आपराधिक मामले।

11. सिविल जिला सीधी के समस्त थाना क्षेत्रों से, उद्भूत होने वाले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वाईल्ड लाईफ से संबंधित आपराधिक मामले।

12. वन मण्डल सामान्य सीधी के अंतर्गत वन परिक्षेत्र सीधी, वन परिक्षेत्र चुरहट एवं वन परिक्षेत्र बहरी एवं वन काष्ठागार जमोड़ी से उत्पन्न मामले का विचारण।

13. संजय टाईगर रिजर्व के अंतर्गत सोन घडियाल अभ्यारण्य, बगदरा अभ्यारण्य उत्पन्न मामले का विचारण।

14. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले मामले)।

15. सिविल जिला सीधी के समस्त थाना क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले श्रम अधिनियम, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अधिनियम, कारखाना अधिनियम, श्रमिक विधिक एवं म.प्र. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के समस्त प्रस्तुत किये जाने वाले मामले।

16. सिविल जिला सीधी के समस्त थाना क्षेत्रों से उद्भूत पी.एन.डी.टी. एक्ट से संबंधित मामले।

17. आरक्षी केन्द्र जमोड़ी, बहरी से उत्पन्न होने वाले धारा-34(1) आबकारी अधिनियम से संबंधित मामले।

18. क्षेत्रीय परिवहन विभाग सीधी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले आपराधिक मामले।

19. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले प्रकरणों में अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) के आवेदन।

20. सिविल जिला सीधी के समस्त थाना क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले खारिजी प्रतिवेदन (ई.आर.) के आवेदन।

21. आरक्षी केन्द्र कोतवाली सीधी, आबकारी वृत्त सीधी से उत्पन्न होने वाले समस्त आबकारी अधिनियम, 1915 से संबंधित मामले।

22. सम्पूर्ण सिविल जिला सीधी में चलित न्यायालय लगाना।

23. अन्य ऐसे सभी मामले जिनका उल्लेख इस विभाजन पत्रक में नहीं है।

24. धारा-343 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन अभियुक्तों के वायदामाफी के मामले तथा दो वर्ष या इससे अधिक दोषसिद्धी हुए अभियुक्तों से संबंधित मामले।

25. वे समस्त मामले/कार्यवाहियों जिनका उल्लेख इस

		कार्यविभाजन/वितरण आदेश में नहीं है अथवा इस आदेश द्वारा किसी अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिन प्रकरण/कार्यवाहियों के विचारण/सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं किया गया हो। 26. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मामले।
सुश्री सरिता चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी जिला-सीधी म.प्र.	थाना-बहरी	1. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले आप -राधिक प्रकरण, विविध आपराधिक प्रकरण, म.प्र. आबकारी अधिनियम, परिवाद पत्र (थाना-बहरी सीधी से उद्भूत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं के प्रति होने वाले संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों को छोड़कर तथा थाना बहरी से उद्भूत होने वाले वन विधि एवं खनिज अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाही/मामले। 2. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले प्रकरणों में अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) के आवेदन। {खारिजी प्रतिवेदन (ई.आर.) प्रकरणों को छोड़कर} 3. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत तीन वर्ष या उससे अधिक कारावास से दण्डनीय अपराधों को छोड़कर शेष विचारणीय मामले। 4. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट (अल्पमात्रा) के मादक पदार्थ से संबंधित (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं हैं) के अंतर्गत विचारणीय मामले एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां। 5. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत उत्पन्न पराकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन प्रस्तुत परिवाद/मामले। 6. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा-34(2) से संबंधित मामले। 7. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले मामले)। 8. थाना क्षेत्र बहरी में न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा में दौरान में निरुद्ध बंदी/व्यक्तियों की मृत्यु होने पर धारा-196 बी.एन.एस.एस के अधीन मृत्यु जांच।

			9. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 379 के तहत न्यायिक अधिकारीगण द्वारा प्रस्तुत परिवाद वाले प्रकरण एवं धारा-251 बी.एन.एस.एस. के तहत भेजे गये समस्त मामले। 10. थाना कोतवाली सीधी से उत्पन्न पराकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन प्रस्तुत परिवाद/मामले। 11. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मामले। 12. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत धारा-52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाहियां।
3	श्री सोनू जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी जिला सीधी म.प्र.	थाना-जमोड़ी, जिला सीधी म.प्र.	1. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण, म.प्र. आबकारी अधिनियम, विविध आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र एवं परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन एवं अन्य कार्यवाहियाँ (थाना जमोड़ी सीधी के विशिष्टतया महिलाओं के प्रति होने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों, वन विधि, खनिज अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 से संबंधित प्रकरण को छोड़कर) जो कि कॉलम क्रमांक C-III में दर्शित थाना क्षेत्र से उत्पन्न हुए हो। 2. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत तीन वर्ष या उससे अधिक कारावास से दण्डनीय अपराधों को छोड़कर शेष विचारणीय मामले। 3. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट (अल्पमात्रा) के मादक पदार्थ से संबंधित (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं हैं) के अंतर्गत विचारणीय मामले एवं संबंधित कार्यवाहियां। 4. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले प्रकरणों में अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.) के आवेदन। 5. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा-34(2) से संबंधित मामले। 6. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले मामले)। 7. थाना कोतवाली सीधी, महिला थाना, थाना यातायात, थाना जमोड़ी सीधी एवं जिला आबकारी वृत्त सीधी में न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध

			बंदी/व्यक्तियों की मृत्यु होने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-196 के अधीन मृत्यु जांच। 8. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत आपराधिक मामले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से संबंधित परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध से संबंधित से संबद्ध प्रकरणों ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य अपराधों को छोड़कर) 9. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-379 के तहत न्यायिक अधिकारीगण द्वारा प्रस्तुत परिवाद वाले प्रकरण एवं धारा 251 के तहत भेजे गये समस्त मामले। 10. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मामले। 11. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत धारा-52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाहियां।
4	श्री सोनू जैन, ग्राम न्यायाधिकारी सीधी, जिला सीधी म.प्र.	राजस्व तहसील सीधी, चुरहट, रामपुर नैकिन के अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्र से संबंधित ग्राम न्यायालय में सुनवाई योग्य प्रकरण (नगर पालिका सीमा को छोड़कर)	1. राजस्व तहसील सीधी, तहसील चुरहट, रामपुर नैकिन के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 12 की अनुसूची क्रमांक 1 के भाग 1 एवं भाग 2 के अंतर्गत दर्शाये गये आपराधिक मामले एवं सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित मामले। 2. ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत धारा-144 एवं 146 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आवेदन पत्र तथा उनके संबंधित प्रवर्तन प्रकरण एवं तलाकशुदा मुस्लिम संरक्षण अधिनियम से संबंधित मामले। 3. ग्राम न्यायालय के पूर्व में फरार घोषित किये गये अभियुक्त से संबद्ध प्रकरण/कार्यवाहियां। 4. जिला मुख्यालय सीधी के समस्त आरक्षी केन्द्रों का संपूर्ण थाना क्षेत्र अंतर्गत के समस्त अभियोग पत्र खात्मा, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है और उससे उद्भूत आपराधिक मामले।
5	सुश्री अर्पिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी जिला-सीधी म.प्र.	1. महिला थाना सीधी, 2. थाना कोतवाली सीधी 3. थाना-जमोड़ी 4. थाना-अमिलिया 5. थाना बहरी (उक्त थाना क्षेत्रों के संबंध में विशिष्टितया महिलाओं के प्रति होने वाले न्यायिक	1. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले ऐसे समस्त आपराधिक मामले तथा अन्य कार्यवाहियां, जो कि विशिष्टितया महिलाओं के प्रति होने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामले/परिवाद पत्र। 2. थाना कोतवाली सीधी, जमोड़ी, अमिलिया एवं बहरी से उद्भूत होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विचारणीय मामले। 3. थाना कोतवाली सीधी, जमोड़ी, अमिलिया एवं बहरी से उद्भूत होने वाले धारा-144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत (नगर पालिका क्षेत्र सीधी एवं जिला मुख्यालय की तहसील सीमा क्षेत्र तथा

		मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय अपराध)	परिवार न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर) आवेदन पत्रों के विचारणीय मामले। 4. आपराधिक मामले जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मामले।
6	श्री धीरज आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी, जिला-सीधी म.प्र.	आरक्षी केन्द्र अमिलिया	1. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक मामले, विविध आपराधिक प्रकरण, म.प्र. आबकारी अधिनियम, परिवार प्रकरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम, परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881, (थाना-अमिलिया से उद्भूत भरण पोषण एवं घरेलू हिंसा तथा विशिष्टतया महिलाओं के प्रति होने वाले संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय मामलों को छोड़कर तथा थाना अमिलिया से उद्भूत होने वाले वन विधि एवं खनिज अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर) तथा अन्य कार्यवाहियां/मामले। 2. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले अंतिम प्रतिवेदन(एफ0आर0) के अंतर्गत विचारणीय प्रकरण। {खारिजी प्रतिवेदन (ई.आर.) प्रकरणों को छोड़कर} 3. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत तीन वर्ष या उससे अधिक कारावास से दण्डनीय अपराधों को छोड़कर शेष विचारणीय प्रकरण। 4. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट (अल्पमात्रा) के मादक पदार्थ से संबंधित (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं हैं) के अंतर्गत विचारणीय मामले एवं उनसे संबंधित कार्यवाहियां। 5. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले म.प्र. आबकारी वृत्त से संबंधित मामले। 6. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले मामले)। 7. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मामले। 8. थाना क्षेत्र अमिलिया में न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा में दौरान में निरुद्ध बंदी/व्यक्तियों की मृत्यु होने पर धारा-196 बी.एन.एस.एस के अधीन मृत्यु जांच। 9. कॉलम क्रमांक C-III से उद्भूत धारा-52ए एन.डी.

			पी.एस. एक्ट की कार्यवाहियां।
7	श्री लालता सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट, जिला सीधी म.प्र.	थाना-चुरहट,	1. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले म.प्र. आबकारी वृत्त से संबंधित मामले। C-III से उद्भूत समस्त आपराधिक मामले, विविध आपराधिक प्रकरण, परिवाद/मामले परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 तथा महिलाओं से संबंधित अपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ, जो कि कॉलम क्रमांक C-III में दर्शित थाना क्षेत्र से उत्पन्न हुई हो, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा विचारणीय योग्य न हो। 2. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 एवं म.प्र. आयुर्विज्ञान अधिनियम के मामले। 3. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट (अल्पमात्रा) के मादक पदार्थ से संबंधित (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के अंतर्गत विचारणीय मामले। 4. कॉलम क्रमांक-C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत तीन वर्ष या उससे अधिक कारावास से दण्डनीय अपराधों को छोड़कर शेष विचारणीय मामले। 5. कॉलम क्रमांक-C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत अंतिम प्रतिवेदन (एफ0आर0)के अंतर्गत प्रकरण का निराकरण। {खारिजी प्रतिवेदन (ई.आर.) प्रकरणों को छोड़कर} 6. घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामले। 7. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले मामले) 8. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं का अश्लिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम के तहत महिलाओं के विरुद्ध किये गये अपराधों से सम्बद्ध मामले। 9. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रस्तुत होने वाले भरण पोषण एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों हेतु प्रस्तुत आवेदन। 10. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीडित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों से सम्बद्ध। 11. थाना चुरहट, थाना सेमरिया एवं थाना कमर्जी के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले वन विधि एवं

			खनिज अधिनियम के समस्त मामलों का निराकरण करना। 12. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले म.प्र. आबकारी वृत्त से संबंधित मामले। 13. रिक्त न्यायालय के समस्त कार्यों का निष्पादन एवं ऐसे प्रकरण जिनके उत्तरवर्ती न्यायालय ज्ञात नहीं हो रहे हैं, में जारी किये गये गिरफ्तारी वारण्ट एवं बिना म्यादी वारण्ट तथा मान्नीय सत्र न्यायालय, मान्नीय उच्च न्यायालय एवं मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना आप0 प्रकरणों में वसूली तथा लंबित आपराधिक प्रकरण इत्यादि की आवश्यक कार्यवाही करना। 14. कॉलम क्रमांक-C-III में अंकित थाना क्षेत्र थाना चुरहट, थाना सेमरिया, थाना कमर्जी एवं आबकारी वृत्त में न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध बंदी/व्यक्तियों की मृत्यु होने पर धारा-196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन मृत्यु जांच। 15. कॉलम क्रमांक C-III से उद्भूत आपराधिक मामले एवं परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध से संबंधित से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य अपराधों को छोड़कर) तथा खात्मा प्रतिवेदन। 16. आपराधिक प्रकरण जो मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मामले। 17. आरक्षी केन्द्र चुरहट से उद्भूत धारा-52ए एन.डी. पी.एस. एक्ट की कार्यवाहियां।
8.	सुश्री वर्षा भलावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट, जिला-सीधी म.प्र.	थाना-कमर्जी	1. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध आपराधिक प्रकरण, परिवाद/प्रकरण, परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 तथा महिलाओं से संबंधित अपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ, जोकि कॉलम क्रमांक C-III में दर्शित थाना क्षेत्र से उत्पन्न हुई हो, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा विचारणीय न हो। 2. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 एवं म.प्र. आयुर्विज्ञान अधिनियम के मामले। 3. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विचारणीय मामले। 4. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत आवेदन पत्र।

		5. कॉलम क्रमांक-C-III से उद्भूत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, एन. डी.पी.एस. एक्ट (अल्पमात्रा) के मादक पदार्थ से संबंधित (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं हैं), के अंतर्गत विचारणीय मामले। 6. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले मामले)। 7. कॉलम क्रमांक-C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत तीन वर्ष या उससे अधिक कारावास से दण्डनीय अपराधों को छोड़कर शेष विचारणीय मामले। 8. कॉलम क्रमांक-C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत अंतिम प्रतिवेदन (एफ0आर0)के अंतर्गत प्रकरण का निराकरण। {खारिजी प्रतिवेदन (ई.आर.) प्रकरणों को छोड़कर} 9. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत आपराधिक मामले एवं परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध से संबंधित से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य अपराधों को छोड़कर) खात्मा प्रतिवेदन। 10. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले म.प्र. आबकारी वृत्त से संबंधित मामले। 11. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मामले। 12. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत धारा-52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाहियां।
9	सुश्री विजया विश्वकर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट, जिला-सीधी म.प्र.	थाना-सेमरिया। 1. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध आपराधिक प्रकरण, परिवाद/प्रकरण, परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 तथा महिलाओं से संबंधित अपराधिक प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ, जोकि कॉलम क्रमांक C-III में दर्शित थाना क्षेत्र से उत्पन्न हुई हो, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा विचारणीय न हो। 2. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 एवं म.प्र. आयुर्विज्ञान अधिनियम के मामले। 3. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विचारणीय मामले। 4. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,

			2023 के अंतर्गत आवेदन पत्र। 5. कॉलम क्रमांक-C-III से उद्भूत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, एन. डी.पी.एस. एक्ट (अल्पमात्रा) के मादक पदार्थ से संबंधित (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं हैं) के अंतर्गत विचारणीय मामले। 6. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले मामले)। 7. कॉलम क्रमांक-C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत तीन वर्ष या उससे अधिक कारावास से दण्डनीय अपराधों को छोड़कर शेष विचारणीय मामले। 8. कॉलम क्रमांक-C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत अंतिम प्रतिवेदन (एफ0आर0)के अंतर्गत प्रकरण का निराकरण। {खारिजी प्रतिवेदन (ई.आर.) प्रकरणों को छोड़कर} 9. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत आपराधिक मामले एवं परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध से संबंधित से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य अपराधों को छोड़कर) खात्मा प्रतिवेदन। 10. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले म.प्र. आबकारी वृत्त से संबंधित मामले। 11. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मामले। 12. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत धारा-52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाहियां।
10	श्री राहुल त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट, जिला-सीधी म.प्र.	—	1. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मामले।
11	श्री परमानन्द सनोड़िया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामपुरनैकिन,	थाना-रामपुर नैकिन,	1. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध आपराधिक प्रकरण, परिवाद प्रकरण एवं अन्य कार्यवाहियाँ, जो कि कॉलम क्रमांक C-III में दर्शित थाना क्षेत्र से उत्पन्न हुई हो, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा विचारणीय न हो।

	जिला सीधी, म.प्र.		2. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत इंडियन मेल काउंसिल एक्ट 1956 एवं म.प्र. आयुर्विज्ञान अधिनियम के मामले। 3. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले वन विधि एवं खनिज अधिनियम के समस्त मामलों का निराकरण करना। 4. कॉलम क्रमांक-C-III से उद्भूत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, एन. डी.पी.एस. एक्ट (अल्पमात्रा) के मादक पदार्थ से संबंधित (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के अंतर्गत विचारणीय मामले। 5. कॉलम क्रमांक-C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत तीन वर्ष या उससे अधिक कारावास से दण्डनीय अपराधों को छोड़कर शेष विचारणीय मामले। 6. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले मामले)। 7. कॉलम क्रमांक-C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत अंतिम प्रतिवेदन (एफ0आर0)के अंतर्गत प्रकरण का निराकरण। {खारिजी प्रतिवेदन (ई.आर.) प्रकरणों को छोड़कर} 8. कॉलम क्रमांक-C-III में अंकित थाना क्षेत्र थाना रामपुर नैकिन एवं आबकारी वृत्त में न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध बंदी/व्यक्तियों की मृत्यु होने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-196 के अधीन मृत्यु जांच। 9. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मामले।
12	श्री अरहम खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रामपुरनैकिन, जिला-सीधी, म.प्र.	—	1. थाना-रामपुरनैकिन से उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विचारणीय मामले। 2. थाना-रामपुरनैकिन से उद्भूत धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत आवेदन पत्र। 3. थाना-रामपुरनैकिन से उद्भूत परकाम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत विचारणीय परिवाद पत्र/मामले। 4. आरक्षी केन्द्र रामपुरनैकिन से उद्भूत होने वाले म.प्र. आबकारी वृत्त से संबंधित मामले। 5. रिक्त न्यायालय या ऐसे प्रकरण जिनके उत्तरवर्ती न्यायालय ज्ञात नहीं हो रहे हैं, में जारी किये गये

			गिरफ्तारी वारण्ट एवं बिना म्यादी वारण्ट तथा मान्नीय सत्र न्यायालय, मान्नीय उच्च न्यायालय एवं मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना आप0 प्रकरणों में वसूली तथा लंबित आपराधिक प्रकरण इत्यादि की आवश्यक कार्यवाही। 6. धारा-379 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत न्यायिक अधिकारीगण द्वारा प्रस्तुत परिवाद वाले प्रकरण एवं धारा 251 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत भेजे गये समस्त मामले। 7. कॉलम क्रमांक C-III में अंकित थाना अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले धारा-52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाहियां। 8. आपराधिक प्रकरण जो मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मामले।
13	श्री लोकेश तारन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली, जिला सीधी, (म.प्र.)	थाना मड़वास	1. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत समस्त आपराधिक मामले, विविध आपराधिक मामले, परिवाद, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं अन्य कार्यवाहियाँ, जो कि कॉलम क्रमांक C-III में दर्शित थाना क्षेत्र से उत्पन्न हुई हो, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा विचारणीय योग्य न हो, का निराकरण। 2. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 एवं म.प्र. आयुर्विज्ञान अधिनियम के मामले। 3. कॉलम क्रमांक-C-III से उद्भूत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, एन0डी0पी0एस एक्ट (अल्पमात्रा) के मादक पदार्थ से संबंधित (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है) के अंतर्गत विचारणीय मामले। 4. कॉलम क्रमांक-C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत तीन वर्ष या उससे अधिक कारावास से दण्डनीय अपराधों को छोड़कर शेष विचारणीय प्रकरण। 5. कॉलम क्रमांक-C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत आवेदन पत्र। 6. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले मामले) 7. वन मण्डल सामान्य सीधी के अंतर्गत वन परिक्षेत्र मझौली से उत्पन्न मामले का विचारण। 8. संजय टाईगर रिजर्व सीधी के अंतर्गत बफर एवं कोर क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामले।

		9. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीडित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों से सम्बद्ध। 10. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत पराकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन प्रस्तुत परिवाद 11. कॉलम क्रमांक—C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत अंतिम प्रतिवेदन (एफ0आर0)के अंतर्गत प्रकरण का निराकरण। {खारिजी प्रतिवेदन (ई.आर.) प्रकरणों को छोड़कर} 12. थाना मझौली, थाना मड़वास, थाना कुसमी एवं थाना भुईमाड़ के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले वन विधि एवं खनिज अधिनियम के समस्त मामलों का निराकरण करना। 13. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत आबकारी वृत्त मझौली से उद्भूत होने वाले म.प्र. आबकारी वृत्त से संबंधित मामले। 14. रिक्त न्यायालय या ऐसे प्रकरण जिनके उत्तरवर्ती न्यायालय ज्ञात नहीं हो रहे हैं, में जारी किये गये गिरफ्तारी वारण्ट एवं बिना म्यादी वारण्ट तथा मान्नीय सत्र न्यायालय, मान्नीय उच्च न्यायालय एवं मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना आप0 प्रकरणों में वसूली तथा लंबित आपराधिक प्रकरण इत्यादि की आवश्यक कार्यवाही करना। 15. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध बंदी/व्यक्तियों की मृत्यु होने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-196 के अधीन मृत्यु जांच। 16. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत आपराधिक मामले एवं परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध से संबंधित से सम्बद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य अपराधों को छोड़कर) खात्मा प्रतिवेदन। 17. आपराधिक प्रकरण जो मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मामले। 18. कॉलम क्रमांक C-III से उद्भूत धारा-52ए एन.डी. पी.एस. एक्ट की कार्यवाहियां।
14	सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम	थाना—मझौली एवं भुईमाड़ 1. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत समस्त आपराधिक मामले, म.प्र., विविध आपराधिक मामले, परिवाद, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं अन्य कार्यवाहियाँ, जो कि कॉलम

श्रेणी मझौली, जिला सीधी, म.प्र.	कमांक C-III में दर्शित थाना क्षेत्र से उत्पन्न हुई हो, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा विचारणीय योग्य न हो। 2. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 एवं म.प्र. आयुर्विज्ञान अधिनियम के मामले। 3. कॉलम कमांक— C-III से उद्भूत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, एन0डी0पी0एस एक्ट (अल्पमात्रा) के मादक पदार्थ से संबंधित (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं हैं) के अंतर्गत विचारणीय मामले। 4. कॉलम कमांक— C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत तीन वर्ष या उससे अधिक कारावास से दण्डनीय अपराधों को छोड़कर शेष विचारणीय प्रकरण। 5. कॉलम कमांक—C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत आवेदन पत्र। 6. कॉलम कमांक—C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत के क्षेत्राधिकार अंतर्गत से उत्पन्न परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन परिवाद/मामले 7. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत आबकारी वृत्त मझौली से उद्भूत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 से संबंधित मामले। 8. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले मामले)। 9. कॉलम कमांक—C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत अंतिम प्रतिवेदन (एफ0आर0)के अंतर्गत प्रकरण का निराकरण। {खारिजी प्रतिवेदन (ई.आर.) प्रकरणों को छोड़कर} 10. ऐसे खात्मा प्रकरण जिनमें पीड़िता महिला हो और अपराध महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले अपराध से सम्बद्ध हो। 11. आपराधिक प्रकरण जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मामले। 12. कॉलम कमांक C-III से उद्भूत धारा—52ए एन.डी. पी.एस. एक्ट की कार्यवाहियां। 13. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध बंदी/व्यक्तियों की मृत्यु होने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा—196 के अधीन मृत्यु जांच।
--	---

15	श्री सौरभ जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली, जिला सीधी, (म.प्र.)	थाना-कुसमी	1. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत समस्त आपराधिक मामले, विविध आपराधिक मामले, परिवाद, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एवं अन्य कार्यवाहियाँ, जो कि कॉलम क्रमांक C-III में दर्शित थाना क्षेत्र से उत्पन्न हुई हो, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा विचारणीय योग्य न हो, का निराकरण। 2. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 एवं म.प्र. आयुर्विज्ञान अधिनियम के मामले। 3. कॉलम क्रमांक-C-III से उद्भूत होने वाले आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, एन0डी0पी0एस एक्ट (अल्पमात्रा) के मादक पदार्थ से संबंधित (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं हैं) के अंतर्गत विचारणीय मामले। 4. कॉलम क्रमांक-C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत तीन वर्ष या उससे अधिक कारावास से दण्डनीय अपराधों को छोड़कर शेष विचारणीय प्रकरण। 5. कॉलम क्रमांक-C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत धारा 144 से 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत आवेदन पत्र। 6. तलाकशुदा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 से संबंधित प्रकरण (कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर प्रस्तुत होने वाले मामले) 7. संजय टाईगर रिजर्व सीधी के अंतर्गत बफर एवं कोर क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामले। 8. ऐसे खात्मा प्रकरण, जिसमें पीडित महिला हो और अपराध महिलाओं के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों से सम्बद्ध। 9. कॉलम क्रमांक-C-III अंतर्गत में उल्लेखित आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार अंतर्गत से उत्पन्न पराकाम्य लिखत अधिनियम 1881 के अधीन प्रस्तुत परिवाद 10. कॉलम क्रमांक-C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत अंतिम प्रतिवेदन (एफ0आर0)के अंतर्गत प्रकरण का निराकरण। {खारिजी प्रतिवेदन (ई.आर.) प्रकरणों को छोड़कर} 11. थाना मझौली के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत होने वाले वन विधि एवं खनिज अधिनियम के समस्त मामलों का निराकरण करना। 12. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना के अंतर्गत आबकारी वृत्त मझौली से उद्भूत होने वाले म.प्र. आबकारी वृत्त से संबंधित मामले।
----	--	------------	--

			13. रिक्त न्यायालय या ऐसे प्रकरण जिनके उत्तरवर्ती न्यायालय ज्ञात नहीं हो रहे हैं, में जारी किये गये गिरफ्तारी वारण्ट एवं बिना म्यादी वारण्ट तथा मान्नीय सत्र न्यायालय, मान्नीय उच्च न्यायालय एवं मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना आप0 प्रकरणों में वसूली तथा लंबित आपराधिक प्रकरण इत्यादि की आवश्यक कार्यवाही करना। 14. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा के दौरान में निरुद्ध बंदी/व्यक्तियों की मृत्यु होने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-196 के अधीन मृत्यु जांच। 15. कॉलम नम्बर C-III के अंतर्गत निर्दिष्ट थाना से उद्भूत आपराधिक मामले एवं परिवाद (महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराध से संबंधित से संबद्ध प्रकरणों तथा ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य अपराधों को छोड़कर) खात्मा प्रतिवेदन। 17. आपराधिक प्रकरण जो मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मामले। 18. कॉलम क्रमांक C-III से उद्भूत धारा-52ए एन.डी. पी.एस. एक्ट की कार्यवाहियां।
16.	रिक्त	राजस्व तहसील, मझौली के अंतर्गत आने वाले ग्राम न्यायालय में सुनवाई योग्य प्रकरण	1. राजस्व तहसील मझौली के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 12 की अनुसूची क्रमांक 1 के भाग 1 एवं भाग 2 के अंतर्गत दर्शाये गये आपराधिक प्रकरण एवं सक्षम न्यायालय द्वारा समय-समय पर अंतरित मामले। 2. ग्राम न्यायालय में प्रस्तुत धारा-144 एवं 146 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आवेदन पत्र तथा उनके संबंधित प्रवर्तन प्रकरण एवं तलाकशुदा मुस्लिम संरक्षण अधिनियम से संबंधित मामले। 3. ग्राम न्यायालय के पूर्व में फरार घोषित किये गये अभियुक्त से संबद्ध प्रकरण/कार्यवाहियां। 4. तहसील मुख्यालय मझौली के समस्त आरक्षी केन्द्रों का संपूर्ण थाना क्षेत्रों के अंतर्गत समस्त अभियोग पत्र खात्मा, परिवाद पत्र, आवेदन पत्र जो ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत और उससे उद्भूत आपराधिक मामले।

नोट:-

(1)- उपरोक्त कार्य वितरण आदेश के अतिरिक्त अन्य आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ, जो मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी, जिला-सीधी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मामलों का विचारण भी संबंधित न्यायिक

मजिस्ट्रेटों के द्वारा किया जायेगा।

(2) चलित न्यायालय का संचालन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के द्वारा सम्पूर्ण सीधी जिले में किया जावेगा एवं अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी में मोटरयान अधिनियम से संबंधित चलित न्यायालय का संचालन अपने-अपने थाना क्षेत्रों में करेंगे। चलित न्यायालय का संचालन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, उन्हे लगाने के पूर्व माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सीधी से अग्रिम अनुमति लेकर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी को लिखित सूचना देने के बाद उसे लगा सकेंगे। यह भी सुनिश्चित रखें कि न्यायालयीन कार्य दिवसों में चलित न्यायालय के आयोजन की स्थिति में पूर्व से नियत कार्य प्रभावित न हो।

(3) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा चलित न्यायालय पर जाने से पूर्व माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी को सूचित करेंगे।

(4) किसी न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण से संबंधित अन्य उद्भूत विविध कार्यवाही एवं प्रकरण उसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहेंगे।

(5) सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने-अपने थाना क्षेत्रों से संबंधित आपराधिक प्रकरणों के खात्मा (एफ.आर.) की कार्यवाही का विधि अनुसार निराकरण करेंगे।

(6) जिन स्थानों पर ग्राम न्यायालय की स्थापना होकर न्यायाधिकारी की पदस्थापना है, तब उनकी अनन्य आधिकारिता व सुनवाई योग्य प्रकरण अन्य न्यायालय द्वारा ग्रहण/संस्थित नहीं किए जावेंगे।

(7) जिला मुख्यालय सीधी अंतर्गत रिक्त न्यायालय के द्वारा जारी किये गये गिरफ्तारी वारण्ट एवं बिना म्यादी वारण्ट तथा माननीय सत्र न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना आपराधिक प्रकरणों में वसूली तथा लंबित आपराधिक प्रकरण इत्यादि की आवश्यक कार्यवाही मुख्यालय में पदस्थ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट उनको कार्य विभाजन पत्रक के अनुसार आबंटित आरक्षी केन्द्र के अनुसार कर््यों का निष्पादन करेंगे।

(8) जिला मुख्यालय सीधी अंतर्गत रिक्त न्यायालय के द्वारा जारी किये गये गिरफ्तारी वारण्ट एवं बिना बेम्यादी वारण्ट तथा माननीय सत्र न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना आप. प्रकरणों में वसूली तथा लंबित आपराधिक प्रकरण इत्यादि की आवश्यक कार्यवाही उन न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जायेगी जो पूर्ववर्ती न्यायालय के स्थान पर पदस्थ हैं तथा ऐसे न्यायालय जिनके पूर्ववर्ती न्यायालय ज्ञात नहीं हो रहे हैं, उक्त दशा में उपरोक्त सभी कार्यवाहिया श्री सरिता चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के द्वारा संपादित की जायेंगी, और उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट 'अ' के अनुसार उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य संपादित करेंगे।

(9) किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने से प्रभारी अधिकारी द्वारा आवश्यक आपराधिक कार्य अभियोग पत्र ग्रहण करना, जमानत आवेदन पत्र और सुपुर्दनामा संबंधित आवेदन पत्र का निराकरण करना, पुलिस/न्यायिक रिमाण्ड कार्यवाही करना, प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना आदि तथा आवश्यक कार्य के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया द्वारा निपटाये जाने वाले आपराधिक प्रकरण शामिल होंगे, जिनमें अभियुक्त दोषसिद्ध का अभिवाक् करता है तो जो मजिस्ट्रेट समरी पावर से सशक्ति है तो वह ऐसे समरी प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगे व ऐसे प्रकरण उन्हीं के न्यायालय में दर्ज होंगे।

(10) उपरोक्त कार्य विभाजन में उल्लेखित पुलिस थानों से आशय उसके अधीन पुलिस चौकी से भी है।

(11)– किसी न्यायालय में पूर्व से लंबित आपराधिक प्रकरण इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।

(12)– किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने के दौरान उनके न्यायालय के अण्डर ट्रायल, या पांच वर्ष या अधिक पुराने प्रकरणों में दूरस्थ जिले या अन्य राज्य से उपस्थित अनुसंधान अधिकारी/चिकित्सा साक्षी या वृद्ध असमर्थ ऐसे साक्षी या वृद्ध, बीमार या अत्याधिक दूरी से आने वाले या सेवा शर्तों के कारण अवकाश न मिलने या अत्यन्त कष्टकारी, व्ययकारी या असुविधा जनक होने की स्थिति में ऐसे साक्षियों की साक्ष्य जिसकी पुनः उपस्थिति कठिन है, की साक्ष्य संबंधित प्रभार में होने वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित की जावेगी तथा ऐसे प्रकरण केवल उक्त कार्य हेतु प्रभारी मजिस्ट्रेट को साक्ष्य अभिलिखित करने हेतु अंतरित किये गये समझे जावेंगे।

(13)– माननीय विशेष न्यायालयों से संबंधित मामलों में सार्वजनिक अवकाश की दशा में रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रथम रिमाण्ड की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत रहेंगे।

(14)– आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट या अन्य दस्तावेजों के सत्यापित छायाप्रतियां सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जाकर उक्त मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न की जावेंगी।

(15)– लंबित रिमाण्ड पेपर से संबंधित अभियोग पत्र उन्हीं न्यायालयों में पेश किये जावेंगे, जिनके पास उपरोक्त कार्य विभाजन पत्रक से संबंधित आरक्षी केन्द्र का क्षेत्राधिकार दिया गया है, जब तक अलग से आदेश न हो तथा ऐसे रिमाण्ड पेपर्स संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में स्वतः अंतरित माने जावेंगे।

(16)– उपरोक्त कार्यविभाजन आदेश के बावजूद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी जिले में स्थित किसी भी आरक्षी केन्द्र या अन्य विभाग से प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्रों का संज्ञान एवं अन्य कार्यवाही करने में सक्षम होंगे।

(17)– यदि उपरोक्त कार्य विभाजन में किसी आपराधिक प्रकरण के निराकरण के संबंध में उल्लेख न हो तो वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के निराकरण योग्य माना जाएगा।

(18)– बी.एन.एस.एस. की धारा 196 के अंतर्गत अथवा अन्य कोई भी मृत्यु जांच संबंधित थाना क्षेत्र के प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी, उनकी अनुपस्थिति की दशा में परिशिष्ट "अ" के अनुसार प्रभारी अधिकारी के द्वारा जांच की जावेगी।

(19)– किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण होने की दशा में उसके उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट पर भी कार्य विभाजन आदेश यथावत लागू होगा।

(20)– जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के आवेदनों के निराकरण हेतु निम्न न्यायिक अधिकारी:-

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु क्षेत्राधिकार
1	श्री सोनू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी, जिला सीधी, (म.प्र.)	सम्पूर्ण जिला सीधी के थानों से उद्भूत प्रकरण।

(विनोद कुमार वर्मा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

—::परिशिष्ट—अ::—

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अन्य मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर या अनुपस्थित रहने एवं मुख्यालय से बाहर रहने के कारण अथवा अन्य किसी प्रकार से बाहर रहने एवं स्थानांतरण होने की दशा में निम्नानुसार उनके सम्मुख दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके न्यायालय एवं अधिकार क्षेत्र का आवश्यक कार्य निष्पादित करेंगे।

// आवश्यक प्रभार //

1	2	3	4	5
क्र०	पीठासीन अधिकारी	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	श्री विनोद कुमार वर्मा C.J.M., Sidhi	श्री सोनू जैन J.M.F.C., Sidhi	सुश्री अर्पिता त्रिपाठी J.M.F.C., Sidhi	श्री धीरज आर्य J.M.F.C., Sidhi
2.	श्री सोनू जैन J.M.F.C., Sidhi	सुश्री सरिता चौधरी J.M.F.C., Sidhi	श्री धीरज आर्य J.M.F.C., Sidhi	सुश्री अर्पिता त्रिपाठी J.M.F.C., Sidhi
3.	सुश्री सरिता चौधरी J.M.F.C., Sidhi	सुश्री अर्पिता त्रिपाठी J.M.F.C., Sidhi	श्री सोनू जैन J.M.F.C., Sidhi	श्री धीरज आर्य J.M.F.C., Sidhi
4.	सुश्री अर्पिता त्रिपाठी J.M.F.C., Sidhi	श्री धीरज आर्य J.M.F.C., Sidhi	सुश्री सरिता चौधरी J.M.F.C., Sidhi	श्री सोनू जैन J.M.F.C., Sidhi
5.	श्री धीरज आर्य J.M.F.C., Sidhi	सुश्री अर्पिता त्रिपाठी J.M.F.C., Sidhi	सुश्री सरिता चौधरी J.M.F.C., Sidhi	श्री सोनू जैन J.M.F.C., Sidhi
6.	श्री लालता सिंह J.M.F.C., Churhat	सुश्री वर्षा भलावी J.M.F.C., Churhat	सुश्री विजया विश्वकर्मा J.M.F.C., Churhat	श्री राहुल त्रिपाठी J.M.F.C., Churhat
7.	सुश्री वर्षा भलावी J.M.F.C., Churhat	सुश्री विजया विश्वकर्मा J.M.F.C., Churhat	श्री राहुल त्रिपाठी J.M.F.C., Churhat	श्री लालता सिंह J.M.F.C., Churhat
8.	सुश्री विजया विश्वकर्मा J.M.F.C., Churhat	श्री राहुल त्रिपाठी J.M.F.C., Churhat	श्री लालता सिंह J.M.F.C., Churhat	सुश्री वर्षा भलावी J.M.F.C., Churhat
9.	श्री राहुल त्रिपाठी J.M.F.C., Churhat	श्री लालता सिंह J.M.F.C., Churhat	सुश्री वर्षा भलावी J.M.F.C., Churhat	सुश्री विजया विश्वकर्मा J.M.F.C., Churhat
10.	श्री परमानन्द सनोडिया J.M.F.C., Rampurnaikin	श्री अरहम खान J.M.F.C., Rampurnaikin	श्री राहुल त्रिपाठी J.M.F.C., Churhat	श्री लालता सिंह J.M.F.C., Churhat
11.	श्री अरहम खान J.M.F.C., Rampurnaikin	श्री परमानन्द सनोडिया J.M.F.C., Rampurnaikin	सुश्री वर्षा भलावी J.M.F.C., Churhat	सुश्री विजया विश्वकर्मा J.M.F.C., Churhat
12.	श्री लोकेश तारन J.M.F.C., Majhouli	सुश्री शिवांगी सिंह परिहार J.M.F.C., Majhouli	श्री सौरभ जैन J.M.F.C., Majhouli	श्री धीरज आर्य J.M.F.C., Sidhi

13.	सुश्री शिवांगी सिंह परिहार J.M.F.C.,Majhouli	श्री सौरभ जैन J.M.F.C.,Majhouli	श्री लोकेश तारन J.M.F.C.,Majhouli	सुश्री अर्पिता त्रिपाठी J.M.F.C.,Sidhi
14.	श्री सौरभ जैन J.M.F.C.,Majhouli	श्री लोकेश तारन J.M.F.C.,Majhouli	सुश्री शिवांगी सिंह परिहार J.M.F.C.,Majhouli	सुश्री सरिता चौधरी J.M.F.C.,Sidhi

नोट:- उपरोक्त कॉलम नंबर-3, 4 एवं 5 नामांकित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कॉलम नंबर 2 में दर्शित मजिस्ट्रेट के न्यायालय का आवश्यक आपराधिक कार्य (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर) मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

(विनोद कुमार वर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

—:परिशिष्ट-ब:—

इस सारणी में दर्शाये गये पद क्रमांक-2 के मजिस्ट्रेट से संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के आवेदन पत्रों का निराकरण एवं कथनों का अभिलेखन कॉलम नंबर 3 में दर्शाये गये न्यायिक मजिस्ट्रेट, तथा कॉलम नंबर 3 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कॉलम नंबर 4 में दर्शाये गये न्यायिक मजिस्ट्रेट, और कॉलम नंबर 4 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कॉलम नंबर 5 में दर्शाये गये न्यायिक मजिस्ट्रेट और कॉलम नंबर 5 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में सीधी मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ मजिस्ट्रेट (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर) द्वारा किया जायेगा।

कॉलम नं-1	कॉलम नं-2	कॉलम नं-3	कॉलम नं-4	कॉलम नं-5
1	श्री विनोद कुमार वर्मा C.J.M.,Sidhi	श्री सोनू जैन J.M.F.C.,Sidhi	सुश्री सरिता चौधरी J.M.F.C.,Sidhi	श्री धीरज आर्य J.M.F.C.,Sidhi
2	श्री सोनू जैन J.M.F.C.,Sidhi	सुश्री सरिता चौधरी J.M.F.C.,Sidhi	सुश्री अर्पिता त्रिपाठी J.M.F.C.,Sidhi	श्री सोनू जैन J.M.F.C.,Sidhi
3	सुश्री सरिता चौधरी J.M.F.C.,Sidhi	सुश्री अर्पिता त्रिपाठी J.M.F.C.,Sidhi	श्री धीरज आर्य J.M.F.C.,Sidhi	श्री सोनू जैन J.M.F.C.,Sidhi
4	सुश्री अर्पिता त्रिपाठी J.M.F.C.,Sidhi	श्री धीरज आर्य J.M.F.C.,Sidhi	श्री सोनू जैन J.M.F.C.,Sidhi	सुश्री सरिता चौधरी J.M.F.C.,Sidhi
5	श्री धीरज आर्य J.M.F.C.,Sidhi	सुश्री अर्पिता त्रिपाठी J.M.F.C.,Sidhi	सुश्री सरिता चौधरी J.M.F.C.,Sidhi	श्री सोनू जैन J.M.F.C.,Sidhi

6	श्री लोकेश तारन J.M.F.C.,Majhouli	सुश्री शिवांगी सिंह परिहार J.M.F.C.,Majhouli	श्री सौरभ जैन J.M.F.C.,Majhouli	सुश्री सरिता चौधरी J.M.F.C., Sidhi
7	सुश्री शिवांगी सिंह परिहार J.M.F.C.,Majhouli	श्री सौरभ जैन J.M.F.C.,Majhouli	श्री लोकेश तारन J.M.F.C.,Majhouli	श्री धीरज आर्य J.M.F.C.,Sidhi
8	श्री सौरभ जैन J.M.F.C.,Majhouli	श्री लोकेश तारन J.M.F.C.,Majhouli	सुश्री शिवांगी सिंह परिहार J.M.F.C.,Majhouli	सुश्री सरिता चौधरी J.M.F.C.,Sidhi
9	श्री लालता सिंह J.M.F.C., Churhat	सुश्री वर्षा भलावी J.M.F.C., Churhat	सुश्री विजया विश्वकर्मा J.M.F.C., Churhat	श्री राहुल त्रिपाठी J.M.F.C., Churhat
10	सुश्री वर्षा भलावी J.M.F.C., Churhat	सुश्री विजया विश्वकर्मा J.M.F.C., Churhat	श्री राहुल त्रिपाठी J.M.F.C., Churhat	श्री लालता सिंह J.M.F.C., Churhat
11	सुश्री विजया विश्वकर्मा J.M.F.C., Churhat	श्री राहुल त्रिपाठी J.M.F.C., Churhat	श्री लालता सिंह J.M.F.C., Churhat	सुश्री वर्षा भलावी J.M.F.C., Churhat
12	श्री राहुल त्रिपाठी J.M.F.C., Churhat	श्री लालता सिंह J.M.F.C., Churhat	सुश्री वर्षा भलावी J.M.F.C., Churhat	सुश्री विजया विश्वकर्मा J.M.F.C., Churhat
13	श्री परमानन्द सनोडिया J.M.F.C.,Rampurnaikin	श्री अरहम खान J.M.F.C.,Rampurnaikin	सुश्री विजया विश्वकर्मा J.M.F.C., Churhat	श्री लालता सिंह J.M.F.C., Churhat

नोट:-

(1)- सम्पूर्ण सीधी जिले के आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले अ.जा./अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के कथन श्री धीरज आर्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी जिला सीधी, (म.प्र.) द्वारा लेखबद्ध किए जावेंगे।

(2)- पॉस्को एक्ट (अ.जा./अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित प्रकरण भी शामिल हैं) से उत्पन्न धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के कथन जिला मुख्यालय सीधी पर सुश्री अर्पिता त्रिपाठी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा लिपिबद्ध किये जायेंगे एवं उनकी अनुपस्थिति में जिला मुख्यालय सीधी की परिशिष्टि "ब" में उल्लिखित महिला अधिकारी द्वारा कार्य संपादित किया जायेगा एवं कोई महिला अधिकारी उपलब्ध न होने की दशा में परिशिष्टि "ब" में उल्लिखित जिला या तहसील मुख्यालय के पुरुष अधिकारी द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

(3)- पॉस्को एक्ट (अ.जा./अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित प्रकरण भी शामिल हैं) अधिनियम से संबंधित प्रकरण भी शामिल हैं) से उत्पन्न धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के कथन तहसील मुख्यालय चुरहट/रामपुर नैकिन में सुश्री वर्षा भलावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चुरहट द्वारा एवं तहसील मुख्यालय मझौली में सुश्री

शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मझौली, जिला सीधी म.प्र. द्वारा लिपिबद्ध किये जायेंगे एवं उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट "ब" के अनुसार कार्य सम्पादित किया जावेगा।

(विनोद कुमार वर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी
जिला-सीधी (म.प्र.)

--:परिशिष्ट-स:-

धारा-183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अधीन संस्वीकृतियां जहां-जहां शब्द अभियोक्त्री/पीड़ित (महिला उत्पीड़न से संबंधित) के कथन अंकित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है:-

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	सुश्री सरिता चौधरी J.M.F.C., Sidhi	1. आरक्षी केन्द्र कोतवाली सीधी 2. आरक्षी केन्द्र अजाक सीधी 3. महिला थाना सीधी 4. आरक्षी केन्द्र जमोडी 5. आरक्षी केन्द्र बहरी, 6. आरक्षी केन्द्र अभिलिया
2	सुश्री वर्षा भलावी, J.M.F.C., Churhat	1. आरक्षी केन्द्र चुरहट, 2. आरक्षी केन्द्र सेमरिया,
3	सुश्री विजया विश्वकर्मा, J.M.F.C., Churhat	1. आरक्षी केन्द्र कमर्जी, 2. आरक्षी केन्द्र रामपुर नैकिन
4	सुश्री शिवांगी सिंह परिहार J.M.F.C., Majhouli	1. आरक्षी केन्द्र मझौली, भुईमाड़ एवं कुसमी
5	श्री सौरभ जैन J.M.F.C., Majhouli	1. आरक्षी केन्द्र मड़वास

--:परिशिष्ट-द:-

इस सारणी में जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने या अनुपस्थिति की दशा में परिशिष्ट "स" के अनुसार कार्य का सम्पादन हेतु उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये क्रम में अगले मजिस्ट्रेट कार्य का संपादन करेंगे, यदि क्रम में आने वाले मजिस्ट्रेट के पास उस थाने का प्रभार है तो ऐसी स्थिति में अगले क्रम के मजिस्ट्रेट उस कार्य को संपादित करेंगे।

अनु क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	कॉलम नं.2 के मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.2 व 3 के मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.2, 3, 4 के मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे
(01)	(02)	(03)	(04)	(5)
1	सुश्री सरिता चौधरी J.M.F.C., Sidhi	श्री धीरज आर्य J.M.F.C., Sidhi	श्री सोनू जैन J.M.F.C., Sidhi	सुश्री अर्पिता त्रिपाठी J.M.F.C., Sidhi
2	सुश्री वर्षा भलावी J.M.F.C., Churhat	सुश्री विजया विश्वकर्मा J.M.F.C., Majhou li	श्री लालता सिंह J.M.F.C., Churhat	श्री राहुल त्रिपाठी J.M.F.C., Churhat
3	सुश्री विजया विश्वकर्मा J.M.F.C., Churhat	सुश्री वर्षा भलावी J.M.F.C., Churh at	श्री राहुल त्रिपाठी J.M.F.C., Churhat	श्री लालता सिंह J.M.F.C., Churhat
4	सुश्री शिवांगी सिंह परिहार J.M.F.C., Majhouli	सौरभ जैन J.M.F.C., Majho uli	श्री लोकेश तारन J.M.F.C., Majhouli	सुश्री सरिता चौधरी J.M.F.C., Sidhi
5	सौरभ जैन J.M.F.C., Majhouli	श्री लोकेश तारन J.M.F.C., Majhouli	सुश्री शिवांगी सिंह परिहार J.M.F.C., Majhouli	सुश्री सरिता चौधरी J.M.F.C., Sidhi

नोट—

// आवश्यक नोट //

(1)— प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायबोर्ड के अवकाश पर रहने पर किशोर न्यायबोर्ड के सदस्य द्वारा कार्य सम्पादित किया जावेगा तथा किन्ही कारणवश उनके भी अनुपस्थित रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी, जिला सीधी म.प्र. द्वारा कार्य सम्पादित किया जावेगा।

(2)— किसी भी मजिस्ट्रेट न्यायालय में पूर्व से लंबित मामले को अंतिम रूप से निराकरण कराना, आवश्यक कार्य में नहीं आयेगा। सार्वजनिक अवकाश के दिन आवश्यक कार्यों के संपादन के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्राधिकृत किए जाने की स्थिति में ऐसे प्राधिकृत द्वारा विशिष्ट रूप से:-

- (i) धारा-187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत रिमाण्ड आवेदन पत्र।

(ii) जमानत संबंधी आवेदन पत्र।

(iii) उसी दिन प्रस्तुत होने वाले रिमाण्ड आवेदन पत्रों के अपराध में जप्त की गई सम्पत्ति को सुपुर्दगी में दिए जाने वाले आवेदन पत्र की सुनवाई की जाकर निराकृत कराना होगा, किन्तु अवकाश के दिन, पूर्व से लंबित आपराधिक प्रकरण को अन्य किसी न्यायालय से आहूत किए जाने का आदेश नहीं दिया जायेगा।

(3)– आवश्यक प्रभार के **कॉलम-02** में अंकित प्रत्येक न्यायिक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने अवकाश पर जाने अथवा अनुपस्थित रहने की दशा में **कॉलम क्रमांक-03** में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को तथा उसकी अनुपस्थिति की दशा में **कॉलम क्रमांक-04** के न्यायिक अधिकारी को अथवा दोनों के अनुपस्थिति की दशा में **कॉलम क्रमांक-05** के न्यायिक अधिकारी को अपनी अनुपस्थिति/अनुपलब्धता की सूचना, लिखित रूप से प्रदान करेगा।

(4)– यह कार्य विभाजन आदेश विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय योग्य प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों के संबंध में प्रभावी रहेगा।

(5)– राजस्व तहसील, सीधी के क्षेत्राधिकारिता अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अध्याय 10 की धारा 144 से 147 से संबंधित समस्त भरण पोषण के प्रकरणों (ग्राम न्यायालय द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर) के संबंध में माननीय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सीधी को अधिकारिता होने से, उक्त प्रकरणों का विचारण/सुनवाई किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जायेगा।

(6)– मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम की धारा 16-1 व 2 के प्रावधानानुसार ग्राम न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता के प्रकरण, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण में सम्मिलित नहीं माना जायेगा और ग्राम न्यायालय से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सीधी, ग्राम न्यायालय मझौली द्वारा ही ग्रहण कर सुनवाई में लिये जायेंगे।

(7)– किशोर न्याय अधिनियम के अधीन प्रस्तुत होने वाले संपूर्ण सीधी जिले के न्यायिक आपराधिक प्रकरणों को किशोर न्यायबोर्ड सीधी में प्रस्तुत किये जावेगा।

(8)– ग्राम न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय सीधी के अनुपलब्धता/रिक्त होने की स्थिति में एवं ग्राम न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मझौली की अनुपलब्धता/रिक्त होने की स्थिति में कार्य विभाजन पत्रक अनुसार आपराधिक मामलों का कार्य सम्पादित करेंगे।

—:: सामान्य निर्देश::—

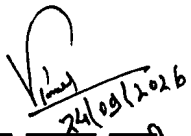
(1) न्यायिक कार्य करते समय मजिस्ट्रेट इस तथ्य को विशेष ध्यान में रखेंगे कि उनके द्वारा उन्हें कॉलम नंबर 3 (आरक्षी केन्द्र/प्रकरण का स्वरूप क्षेत्राधिकार) में प्रदत्त क्षेत्राधिकारिता के अनुरूप ऐसे प्रकरणों को छोड़कर ही न्यायिक कार्य किया जावे, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार विशेष न्यायालय को है या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी को है एवं

कार्य विभाजन पत्रक में क्षेत्राधिकारिता से संबंधित कोई भ्रम की स्थिति निर्मित होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम होगा।

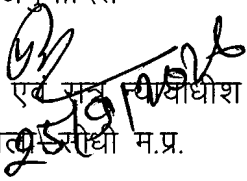
(2) यदि कोई मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं या स्थानांतरण हो जाने के कारण या अन्य किसी कारण उसे उनका पद रिक्त रहता है, तो ऐसी स्थिति में कार्य व्यवस्था के अंतर्गत निर्दिष्ट किये गये मजिस्ट्रेट का नाम स्वतः ही पदस्थापित माना जायेगा।

(3) कॉलम क्रमांक C-III से उद्भूत एन.डी.पी.एस. के प्रकरण जिनका विचारण संबंधित मजिस्ट्रेट को करना है उन प्रकरणों की धारा-52ए एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाहियां परिशिष्ट-अ में उल्लेखित इंजार्च मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित की जावेगी।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सीधी की ओर से उक्त आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित है।


 (विनोद कुमार वनी)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी
 जिला-सीधी (म.प्र.)

अनुमोदित


 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी
 जिला-सीधी म.प्र.

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी, जिला सीधी म.प्र.

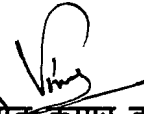
पृष्ठांकन क्रमांक /

सीधी, दिनांक

प्रतिलिपि (ई-मेल/व्हाट्सप/व्हाट्सप ग्रुप) :-

- 1- निज सहायक माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय सीधी, (म.प्र.)
2. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)
- 3- माननीय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय सीधी, जिला सीधी (म.प्र.)
- 4- प्रथम/द्वितीय/तृतीय जिला न्यायाधीश महोदय, सीधी (म.प्र.)
- 5- माननीय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सीधी न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश सीधी
- 6- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)
- 7- श्री सोनू जैन/सुश्री सरिता चौधरी/सुश्री अर्पिता त्रिपाठी/श्री धीरज आर्य/श्री लालता सिंह/सुश्री वर्षा भलावी/सुश्री विजया विश्वकर्मा/श्री राहुल त्रिपाठी/श्री परमानंद सनोड़िया/श्री अरहम खान/ श्री लोकेश तारन/सुश्री शिवांगी सिंह परिहार/श्री सौरभ जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीधी/चुरहट/रामपुर नैकिन/मझौली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 8- अधिवक्ता संघ सीधी/चुरहट/मझौली/रामपुर नैकिन,
- 9- कार्यालय जिला अभियोजन अधिकारी सीधी, जिला सीधी म.प्र.
10. कार्यालय आबकारी अधिकारी सीधी, जिला सीधी, म.प्र.,
11. कार्यालय वन विभाग सीधी, जिला सीधी म.प्र.,
12. निष्पादन लिपिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी, जिला सीधी म.प्र.
- 13- पुलिस आरक्षी केन्द्र कोतवाली/जमोड़ी/अमिलिया/बहरी/चुरहट/सेमरिया/कमर्जी/रामपुरनैकिन/मझौली/मड़वास/कुसमी/भुइमाड़ जिला सीधी, म.प्र.,
- 14- सिस्टम आफिसर/सहायक सिस्टम ऑफीसर सीधी, जिला सीधी, (म.प्र.) की ओर ई-मेल से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

-----की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(विनोद कुमार वर्मा)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 सीधी, जिला-सीधी (म.प्र.)